की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा कर रही है। केन्द्रीय सरकार, चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में या उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी हेतु इस्तेमाल करने के लिए ट्रक/वैनें खरीदने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है।

Shortage of Palmolein in Super Bazar

*213. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a shortage of palmolein being supplied through the network of Super Bazar in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) by when the supply of palmolein is expected to be normal in Delhi;

(d) whether Super Bazar has defaulted in making payment for the supply of palmolein;

(e) if so, whether any responsibility has been fixed for this lapse on the part of Super Bazar; and

(f) if so, the action taken in the matter and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (f) Central Government imported nearly 1.5 lakh tonnes of RBD palmolein oil during the year 1995-96. Allocations of RBD palmolein are made to States/UTs, generally as per their demands subject to availability of stocks. The Union Territory of Delhi has been allocated a total quantity of 2200 tonnes of palmolein during April to October, 1995-96. Out of this, the Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi made an allocation of 1580 tonnes of palmolein the Super Bazar. The off-take reported by Super Bazar is 1456 tonnes till November, 1995, which represents 92% of allocations.

The allocations of imported edible oil to States/UTs are supplemental in nature. It is possible that there might have been shortages of supplies in some branches of Super Bazar at times. There has been delays in payments for the supply of RBD palmolein oil by the Super Bazar. However, such delays cannot be termed as default and therefore it is felt that there is no need for any further action in this regard.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के माध्यम से दावों का धीमी गति से निपटान किया जाना

*214. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों में कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न किए जाने के मामलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। क्योंकि दावों का निपटाना बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विलंबित भुगतान राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वसूली अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन विंग को पहले ही सुदृढ़ कर दिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के अधिकारियों के कार्यों का प्रत्येक माह प्रबोधन भी किया जाता है।

(ङ) अंशदाताओं को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर मिलने वाले ब्याज की दर में वृद्धि करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।